

कार्यालय प्रधानाचार्य पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु

website: www.education.rajasthan.gov.in/mcchuru

Email: -pdumcchuru@gmail.com Phone: - 01562- 251888

क्रमांक:-अकादमिक/2019/1205

दिनांक:- 30.07.19


नोटिस

महाविद्यालय की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा मिटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभाग के समस्त चिकित्सक शिक्षकों को निर्देशित करें कि वे एमबीबीएस की समस्त कक्षाओं के प्रारंभ में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियमावली-2009 के नियम-8 के दण्ड के प्रावधानों एवं रैगिंग की रोकथाम के उपायों के बारे में निम्न प्रावधानों का वाचन नियमित रूप से करें:-

“इस संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है यदि कोई रैगिंग करने एवं उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया जाता है अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया जाता है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुये उसे विनियम के दण्ड के निम्न प्रावधानों में से कोई अथवा अनेक दण्ड व देश में लागू कानून के अनुसार दण्डित किया जावेगा:-

- कक्षा से निलम्बित करना।
- छात्रवृत्ति से वंचित करना।
- परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
- छात्रावास से निष्कासित करना।
- संस्था से 04 सत्रों तक के लिये निष्कासन करना।
- प्रवेश निरस्त करना एवं अन्य संस्था में प्रवेश से वंचित करना।
- राशि रुपये 25 हजार और 01 लाख का जुर्माना।

सब मिलकर रैगिंग की इस कुप्रथा को समूल नष्ट करने हेतु संकल्प ले कि रैगिंग न लेंगे न होने देंगे”।


प्रधानाचार्य


पं. दीनदयाल उपाध्याय
मेडिकल कॉलेज, चूरु

क्रमांक:- सामान्य/2019/1205

दिनांक:- 30.7.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली।
2. सचिव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् पॉकेट-14, सेक्टर-8 द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, आदर्श नगर, गोविन्द मार्ग, जयपुर।
5. कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-8 प्रताप नगर, टॉक रोड, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्त सूचना की प्रतिलिपि उपस्थिति पंजिका के उपर चस्पा कर समस्त चिकित्सक शिक्षकों को उपरोक्तानुसार अपने विभाग की प्रत्येक कक्षा में वाचन करने हेतु निर्देशित करें।
7. समस्त एंटी रैगिंग सदस्य समिति।
8. निजि सचिव प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक।


प्रधानाचार्य